

RAS

निर्णय बड़जलास श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर(बूँ) देवगढ़

प्र.सं 6/2018 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 21.3.2018

अनवान

1. श्री भेरूरावल पिता धन्नारावल नाथ नि. चारनिया (देवगढ़)
2. श्री मांगुरावल पिता शिवरावल नाथ नि. चारनिया (देवगढ़)
3. श्री बाबुरावल पिता शिवरावल नाथ नि. चारनिया (देवगढ़)
4. श्री भावना देवी पत्नी श्यामलाल पाण्डिया नि. चारनिया (देवगढ़)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भूरा पिता जीवा जी माली नि. चारनिया (देवगढ़)
2. श्रीरमेश पिता डालुजी माली नि. चारनिया (देवगढ़)
3. श्री बाबुलाल पिता डालुजी माली नि. चारनिया (देवगढ़)
4. प्रकाश पिता डालुजी माली नि. चारनिया (देवगढ़)
5. पुष्पा पिता डालुजी माली नि. चारनिया (देवगढ़)
6. शानु पिता डालुजी माली नि. चारनिया (देवगढ़)
7. ककू पत्नी डालुजी माली नि. चारनिया (देवगढ़)
8. पानी पुत्री जीवाजी माली नि. चारनिया (देवगढ़)
9. लेहरी पुत्री जीवाजी माली नि. चारनिया (देवगढ़)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज. ले. रे. एक्ट

उपस्थित:- श्री उग्रप्रतापसिंह वकील प्रार्थीगण

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी कबजे की भूमि स्थित हैं जिसके खाता संख्या 65 आराजी नम्बर 91 रकबा 5.09 खाता संख्या 66 आराजी नम्बर 111 रकबा 7.12.19 कुल किता 2 रकबा 13बीघा 1 बिस्वा 19 विस्वांशी हैं। उक्त वार्णित उलिया आराजीयात पर प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त वार्णित भूमि के



(Handwritten signature)

चारों तरफ पत्थर की पक्की बाउण्डी अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पड़ोसी हैं, हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बन्धित विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अशांति कायाम रहती है। जिससे प्रार्थीगण उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहे हैं यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थीगण उकसी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर विपक्षी गण ने कोई जवाब पेश नहीं किया बल्कि विपक्षी को सम्मन जारी हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिसपर उनके विरुद्ध एकतरफा कारवाई की गई। वकील प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध को कारवाई नहीं करने बाबत निवेदन किया जिसपर विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध कारवाई डूप की गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की बाउण्डी अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नहीं हैं जिससे विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की भूमि से मिलते हुए पड़ोसी है हर समय फसल बुवाई व कटाई के प्रार्थीगण की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कभी प्रार्थीगण की भूमि को हांक लेते है कभी घास फसल काट लेते हैं यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस पर ममन किया। ग्राम देवगढ़ पटवार हलका देवगढ़ तहसील देवगढ़ की नकल




जमाबंदी सं० 2070 से 2073 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवगढ़ पटवार हलका देवगढ़ तहसील देवगढ़ में स्थित प्रार्थी गण की खातेदारी खाता संख्या 65 आराजी नम्बर 91 रकबा 5.09 खाता संख्या 66 आराजी नम्बर 111 रकबा 7.12.19 कुल कित्ता 2 रकबा 13बीघा 1 बिस्वा 19 विस्वांशी भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं।

पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पैश करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 21.3.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिल्हा राजसमंद